न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 687/2025 राजस्व वाद

1. वंशिका पुत्री संजय जाट आयु 06 वर्ष निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री संजय जाट आयु 29 वर्ष निवासी गठिलाखेड़ा हाल निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–वादीया

बनाम

1. भैरू लाल पुत्र हीरा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. संजय पुत्र भैरू लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजू पुत्र भैरू लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. छोटू पुत्र भैरू लाल जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. चांदू पुत्री हीरा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. सायरी पुत्री हीरा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. कल्याण पुत्र हीरा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. कमला पुत्री नन्दा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. जयराम पुत्र उदा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. जयराम पुत्र हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. देबी पुत्र उदा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. धापू पुत्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. नारायण पुत्र रूपा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला
14. नारायण पुत्र जीवण गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी बोरड़ा तह0 एवं जिला
15. नोसर पुत्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला
16. मेता पुत्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला
17. मांगी लाल पुत्र भवाना गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18. मोहनी पत्नी हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
19. रूकमा पत्नी गोपी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी बोरड़ा तह0 एवं जिला
20. रामलाल पुत्र गोपी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी बोरड़ा तह0 एवं जिला
21. लाडू पुत्री गोपी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी बोरड़ा तह0 एवं जिला
22. लादूलाल पुत्र गोपाल गाडरी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
23. लाली पत्नी लादूलाल जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
24. श्यामलाल पुत्र हीरा गाडरी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
25. श्रीकिशन पुत्र हजारी जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
26. शान्ति पुत्री हीरा गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
27. सुगना देवी पत्नी सांवरमल गाडरी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
28. कमला पुत्री नन्दा जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
29. जयराम पुत्र उदा जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
30. जयराम दत्तक पुत्र सोराम आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
31. देबी पुत्र उदा जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
32. नारायण पुत्र जीवण जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
33. नारायण दत्तक पुत्र गोपी आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
34. मेताबी पत्नी कजोड़ जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
35. रामलाल पुत्र गोपी जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
36. लाडू पुत्री गोपी जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
37. शंकर पुत्र कजोड़ जाट आयु वयस्क निवासी गठिलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
38. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

सहा० 8/5/26 ...क्टर,
भीलवाड़ा

39. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा
40. सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड भीलवाड़ा शाखा सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा जरिये शाख प्रबंधक

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी– वादी
2. श्री शोभागमल कुमावत – प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 18/2/2026

वादी द्वारा दिनांक 31.12.2021 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद जांच वाद कम संख्या 3/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 01.09.2025 की अनुपालना में विचाराधीन वाद की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा को अंतरित हुई, जिसे रजिस्टर कम संख्या 687/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गठिलाखेड़ा के खाता संख्या 248 की आराजी संख्या 575/1, 578, 579, 583, 593, 597/1, 601, 602, 603, 612, 614, 618, 619, 624, 748, 748/1, 777, 778, 780, 790, 853 कुल किता 21 कुल रकबा 4.7796 हैक्टयर, खाता संख्या 174 की आराजी संख्या 773 रकबा 0.0379 हैक्टयर, खाता संख्या 172 की आराजी संख्या 793 रकबा 0.6955 हैक्टयर, खाता संख्या 173 की आराजी संख्या 786, 787, 788 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1770 हैक्टयर, खाता संख्या 249 की आराजी संख्या 617 रकबा 0.0379 हैक्टयर, खाता संख्या 242 की आराजी संख्या 567 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीया के दादा है, के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त संपत्ति उनके पिता अर्थात वादीया के परदादा हीरालाल की विरासत से प्राप्त हुई है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हक हिस्से में से 1/4 हक हिस्सा वादीया का है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हक हिस्से में से 1/4 हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने हेतु खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है और साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

प्रतिवादी संख्या 01 भैरू लाल जाट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का दिनांक 14.11.2022 को प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मामले में प्रतिवादी संख्या 38 एवं 39 जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, जिनको मामले में पक्षकार बनाया गया है व वादपत्र व प्रार्थनापत्र में प्रतिवादी संख्या 38 व 39 के विरूद्ध निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, लेकिन उन्हे वादपत्र व प्रार्थनापत्र पेश करने से पूर्व 80 जा0 दी0 के तहत 02 माह की समयावधि का नोटिस नहीं दिया है, जिसके अभाव में उक्त वादपत्र पोषणीय नहीं होकर अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 के तहत सव्यय खारीज होने योग्य है।

18/2/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीया जब अपनी माता के गर्भ में पल रही थी, तब से ही वादीया की माता अपने पीहर वालों की सिखावट एवं बहकावे में आकर अपने पीहर चली गयी, जो काफी लेने जाने के बावजूद भी नहीं आयी है एवं माह जुलाई 2022 में पुखराज पुत्र श्री महादेव जाट निवासी रायला के साथ नाता विवाह कर लिया और इन्द्रा देवी अभी पुखराज की पत्नी बनकर पत्नी धर्म का पालन कर रही है। वादीया का कभी भी विवादित आराजियात पर कब्जा नहीं रहा है व न ही कब्जे बाबत कोई अनुतोष चाहा है। जिससे वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नहीं हुआ है, बिना बिनायवाद के वादपत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 के तहत सव्यय खारीज फरमाय जावे।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में निम्न अनुतोष चाहा गया है:–

वादपत्र की चरण संख्या 02 मे वर्णित सरहद गठिलाखेड़ा पटवार हल्का गठिलाखेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे वर्णित **भाग– अ खाता संख्या 248** मे आराजी नम्बर 575/1 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 578 रकबा 0.1391 हैक्टयर, आराजी नम्बर 579 रकबा 0.2908 हैक्टयर, आराजी नम्बर 583 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 593 रकबा 0.4552 हैक्टयर, आराजी नम्बर 597/1 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 601 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 602 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 603 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 612 रकबा 0.6702 हैक्टयर, आराजी नम्बर 614 रकबा 0.1517 हैक्टयर, आराजी नम्बर 618 रकबा 0.4299 हैक्टयर, आराजी नम्बर 619 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 624 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 748 रकबा 0.6828 हैक्टयर, आराजी नम्बर 748/1 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 777 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 778 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 780 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 790 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 853 रकबा 0.6070 हैक्टयर कुल किता 21 रकबा 4.7796 हैक्टयर, **भाग–ब खाता संख्या 174** मे आराजी नम्बर 773 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 0. 0379 हैक्टयर, **भाग–स खाता संख्या 172** मे आराजी नम्बर 793 रकबा 0.6955 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 0. 6955 हैक्टयर **भाग–द खाता संख्या 173** मे आराजी नम्बर 786 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 787 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 788 रकबा 0.0506 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.1770 हैक्टयर, **भाग–य खाता संख्या 249** मे आराजी नम्बर 617 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 0.0379 हैक्टयर **भाग–र खाता संख्या 242** आराजी नम्बर 567 रकबा 0.0632 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 0.0632 हैक्टयर व ग्राम आटूण पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 503 मे आराजी नम्बर 1279 रकबा 2.6934 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 2.6934 हैक्टयर भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की पैतृक आराजियात है, जिसमे वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादपत्र की चरण संख्या 02 के **भाग अ** में वर्णित आराजियात मे वादीया का 5/96 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 5/48 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 5/96 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 का 5/48 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 5/48 हक हिस्सा, **भाग–ब** में वर्णित आराजियात मे प्रतिवादी संख्या 01 निहित हक हिस्से मे से वादीया का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/4 हक हिस्सा **भाग–स व द** में वर्णित आराजियात मे वादीया का 1/128 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/64 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/128 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 1/64 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/64 हक हिस्सा व **भाग–य** मे वर्णित आराजियात मे वादीया का 5/384 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 5/192 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 5/384 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 5/192 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 5/192 हक हिस्सा व भाग–र मे वर्णित आराजियात मे वादीया का 5/192 हक हिस्सा,

सहायक कलक्टर
...ड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 का 1/96 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/192 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 1/96 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/96 हक हिस्सा व वादपत्र की चरण संख्या 03 मे वर्णित आराजी मे वादीया का 5/96 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 5/48 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 5/96 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 का 5/48 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 5/48 हक हिस्सा निहित है और वादीया राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ अपना नाम अंकन कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है, तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 सादिर फरमायी जावे।

(ब) बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादीया को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा वादीया के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

पत्रावली का गुणवतापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है। आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

A. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।
B. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
C. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
D. जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
E. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।
F. जहां वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुक्रम में वारिसों का निर्धारण अनुसूची में किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

पुरूष की दशा में उत्ताधिकार के साधारण नियम– निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की संपत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी–

(क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है,

(ख) द्वितीयत, यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है,

(ग) तृतीयत, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को, तथा

(घ) अन्ततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बन्धुओं को।

वर्ग 1 और वर्ग 2 में वारिस –

वर्ग 1–

पुत्र, पुत्री, विधवा, माता पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री का पुत्र, पूर्वमृत पुत्री की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र की विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा।

वर्ग–2

I. पिता
II. (1) पुत्र की पुत्री का पुत्र (2) पुत्र की पुत्री की पुत्री (3) भाई (4) बहिन
III. (1) पुत्री के पुत्र का पुत्र, (2) पुत्री के पुत्र की पुत्री (3) पुत्री की पुत्री का पुत्र, (4) पुत्री की पुत्री की पुत्री

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

IV. (1) भाई का पुत्र, (2) बहिन का पुत्र (3) भाई की पुत्री (4) बहिन की पुत्री

V. पिता का पिता, पिता की माता

VI. पिता की विधवा, भाई की विधवा

VII. पिता का भाई, पिता की बहन

VIII. माता का पिता, माता की माता

IX. माता का भाई, माता की बहन

स्पष्टीकरण – इस अनुसूची में भाई या बहिन के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत उस भाई या बहिन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदररक्त के हो।

उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादीया की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 जो की उसके जैविक पिता है, के मध्य वैवाहिक जीवन में मतभेद होने से वादीया की माता द्वारा रायला निवासी पुखराज पुत्र महादेव के साथ नाता विवाह कर लिया गया है। वादीया की माता वर्तमान में नाता विवाह उपरान्त श्री पुखराज की पत्नी बनकर वैवाहिक जीवन जी रही है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादग्रस्त संपत्ति भैरू पिता हीरा, जो की वादीया का दादा है को वादग्रस्त संपत्ति हीरा पिता गोपाल से जरिये विरासत प्राप्त होने से जन्म से ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की वारिस होकर वादग्रस्त संपत्ति में कोई भी हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः वादीया का वाद आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के बिन्दु संख्या D से बाधित होता है।

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त संपत्ति वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भैरू पिता हीरा के नाम दर्ज है। वादीया उसके पुत्र संजय की पुत्री होकर उसकी पौत्री है जिसका जन्म से ही अपने दादा को विरासतन प्राप्त संपत्ति में हक अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी से बाधित नहीं होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार वादी प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों की श्रेणी में समाहित नहीं होते है। वादी के प्रतिवादी संख्या 1 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वारिसों में समाहित नहीं होने से वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज वादग्रस्त संपत्ति में कोई भी हक हिस्सा प्राप्त करने की प्रथम दृष्टया अधिकारिणी नही है। अतएव

–: आदेश :–

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के बिन्दु संख्या D से बाधित होने के कारण वादीया का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

(कमल कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा